



# कार्यपालक अभियंता का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, बेतिया

Ph :- 06254-240504, Mob.:-9470001289

Email :- eebettiah321@gmail.com

## अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या 02/2017-18

बेतिया जिला अन्तर्गत पथ प्रमण्डल, पथ निर्माण विभाग, बेतिया के क्षेत्राधीन OPRMC कार्यों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण कार्य एवं अन्य सरकारी कार्य में उपयोग हेतु भाड़े पर एक स्कार्पियो एम हॉक (S-10) वाहन (चालक एवं रख-रखाव पर व्यय सहित) की आवश्यकता है। इस वाहन आपूर्ति कार्य हेतु वाहन मालिकों/एजेंसियों से निम्न शर्त के अधीन कोटेशन दिनांक-13.07.17 के 3:00 बजे अपराह्न तक कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, बेतिया/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, मोतिहारी/मुख्य अभियंता (या) उत्तर बिहार उपभाग, प०नि०वि०, बिहार,पटना के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी तथा उसी दिन अपराह्न 3:30 बजे कोटेशनदाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष कोटेशन खोली जायेगी। कोटेशनदाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की अनुपस्थिति रहने की स्थिति में भी ससमय कोटेशन खोल दी जायेगी:-

1. गाडी का भाड़ा का भुगतान सक्षम पदाधिकारी द्वारा कोटेशन में अनुमोदित दर के तदनुसार किया जाएगा, जिसमें वाहन का भाड़ा, चालक को देय सभी वेतन भते सहित वाहन का रख-रखाव सम्मिलित होगा।
2. भाड़े का अवधि :- कार्यादेश की तिथि से एक वर्ष तक के लिए लिया जाएगा, लेकिन कार्य संतोषजनक रहने पर एवं आवश्यकता पडने पर कार्य अवधि बढ़ायी जा सकती है।
3. भाड़े पर लिए जाने वाले वाहन का गाडी का सभी टैक्स वाहन मालिक/ सक्षम एजेन्सी के द्वारा किया जाएगा।
4. वाहन अच्छी स्थिति में होना अनिवार्य होगा एवं साथ ही वाहन निर्माता कम्पनी से एक वर्ष के अन्दर का क्रय किया होना अनिवार्य होगा।
5. गाडी में यदि कोई खराबी होती है, तो उसकी मरम्मत उसी दिन करा देना अनिवार्य होगा। यदि गाडी की मरम्मत होने में अधिक दिन लगने की आवश्यकता होगी तो वैसी स्थिति में अगले दिन कोई अन्य समकक्ष वाहन उपलब्ध करा देना अनिवार्य होगा।
6. वाहन का सभी प्रकार का टैक्स भुगतान अधतन होना चाहिए एवं वाहन किसी बीमा कम्पनी से Insured होना चाहिए।
7. कोटेशन में गाडी का मोडल वर्ष अंकित करना होगा।
8. कोटेशन के साथ वाहन से संबंधित सभी कागजातों (निबंधन, अद्यतन बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण इत्यादि) की छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए, जो स्वहस्ताक्षरित एवं अभिप्रमाणित होना चाहिए।
9. कोटेशन में दर अंकित करने हेतु एवं अन्य वांछित सूचनाएं अंकित करने हेतु 'दर प्रोफार्मा प्रारूप' निशुल्क कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, बेतिया/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, मोतिहारी के कार्यालय से कोटेशन प्राप्ति की तिथि से एक दिन पूर्व 3:00 बजे अपराह्न तक वांछित कागजातों की छायाप्रति, जो हस्ताक्षरित एवं अभिप्रमाणित हो, के साथ आवेदन समर्पित कर प्राप्त कर लेना होगा। कोटेशन उक्त परफॉर्मा में ही देना अनिवार्य होगा।
10. अग्रधन की राशि, जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र 8वाँ निर्गम/किसान विकास पत्र/सावधि पास बुक 1,2,3 वर्षीय पासबुक के रूप में 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र का हो एवं कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, बेतिया के पदनाम से विधिवत pledged हो, कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। कोटेशन अस्वीकृत होने की स्थिति में उक्त अग्रधन की राशि वापस कर दी जाएगी।

11. कोटेशन प्राप्ति के दिन अवकाश घोषित होन पर कोटेशन की तिथि अगले कार्य दिवस को होगा।
12. आवंटन उपलब्ध होने पर ही किराया का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
13. गाडी का संभावित परिचालन लगभग 2500 कि०मी० प्रति माह होगा।
14. गाड़ी अपूर्ति करने हेतु कार्यादेश निर्गत के एक सप्ताह के अंदर वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
15. विस्तृत जानकारी के लिए किसी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
16. सशर्त कोटेशन अमान्य होगा एवं कोटेशन को बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास रहेगा।
18. विभाग से संबंधित सूचना/शिकायत के लिए Helpline 18003456161 नंबर का कृपया उपयोग करें।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता  
पथ निर्माण विभाग  
पथ प्रमंडल बेतिया।